यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-2, विकासनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-2, विकासनगर के माह 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कलन्त सिंह एवं सतेन्द्र कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.09.2020 से 07.10.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन व श्री नीरज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 30.08.2017 तक श्री एन. के. सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** नन्दा की चौकी से रोड़ के बांयी ओर का क्षेत्र डाकपत्थर तक व पूरी कालसी व चकराता तहसील का क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	42.86
2018-19	1104.66
2019-20	1792.70

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-2, विकासनगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-2, विकासनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: -------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : टीडीएस की कम कटौती किया जाना ₹16.28 लाख एवं विलम्ब से टीडीएस जमा कराये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.18 लाख।

प्रस्तर- 02 : आईटीसी का अनुचित लाभ ₹ 6.46 लाख अर्थदण्ड ₹19.37 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : प्लान्ट/मशीनरी की बिक्री पर कर का अनारोपण ₹ 14.16 लाख।

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 6.33 लाख।

प्रस्तर- 03 : अधिक रिफ़ंड किया जाना ₹ 4.07 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.25 लाख।

प्रस्तर- 04 : धनराशि ₹ 1.50 लाख का डिमाण्ड आदेश संशोधित न किया जाना।

प्रस्तर- 05 : कर का न्यूनारोपण ₹1.48 लाख।

प्रस्तर- 06 : सुख-साधन कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.34 लाख।

प्रस्तर- 07 : कर अर्थदण्ड का अनारोपम ₹1.00 लाख।

प्रस्तर- 08 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹0.08 लाख एवं अर्थदण्ड ₹0.24 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-01 : टीडीएस की कम कटौती किया जाना ₹16.28 लाख एवं विलम्ब से टीडीएस जमा कराये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.18 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-35(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविदाकार को भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, संविदाकार को ऐसा भुगतान करते समय, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से ऐसी संकर्म संविदा के सम्बंध में इस अधिनियम के अधीन देय सम्पूर्ण कर या जैसी भी दशा हो, उसके किसी भाग की तुष्टि के लिए उसे देय राशि के छः प्रतिशत के बराबर धनराशि कि कटौती करेगा। उपधारा (4) के अनुसार काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह जिसमें कटौती की जाये, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी। उपधारा (8) के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार से काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी है तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगुने से अनधिक (125% से अनधिक: 31.03.2015 से) धनराशि का भुगतान करेगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, चकराता की वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान एवं उससे काटी गयी टीडीएस के विवरण तथा दाखिल त्रैमासिक रिटर्न में निम्न प्रकार भिन्नता पायी गयी:

अवधि	दाखिल विवरण अनुसार		दाखिल त्रैमासिक रिटर्न अनुसार		काटी जाने वाली राशि
	भुगतान (₹)	कटौती (₹)	भुगतान (₹)	कटौती (₹)	
04/15-06/15	2276230	136573	2776230	136573	136573
07/15-09/15	10594070	635644	11394070	635644	683644
10/15-12/15	13209105	792546	13209105	792546	792546
01/16-03/16	33896672	2033800	33896672	2033800	2033800
योग	**59976077**	**3598563**	**61276077**	**3598563**	**3646563**

उपरोक्तानुसार व्यौहारी द्वारा दाखिल त्रैमासिक विवरण अनुसार संगत वर्ष में संविदाकार को ₹61276077 का भुगतान किया गया था एवं प्रत्येक बिल से 6% की दर से ₹3676565 टीडीएस की कटौती की जानी थी जबकि ₹3598563 टीडीएस की कटौती की गयी थी जो कि ₹78002 कम थी।

आगे, जाँच में पाया गया कि संविदी विभाग द्वारा प्रथम त्रैमास (04/15 से 06/15) में संविदाकार को किए भुगतान में से कटौती किए टीडीएस को निम्नानुसार विलम्ब से जमा कराया गया था जिसपर नियमानुसार निम्नवत अर्थदण्ड आरोपणीय था:

भुगतान (₹)	दिनाँक	टीडीएस की दर (%)	टीडीएस राशि (₹)	टीडीएस जमा तिथि	अर्थदण्ड (₹) @ 125%
1306069	01.04.15	6	78364	17.06.15	97955
265871	01.04.15	6	15952	09.07.15	19940
Total					117895

आगे, जाँच में यह भी पाया गया कि व्यौहारी द्वारा चतुर्थ त्रैमास में संविदाकार को ₹33896672 के भुगतान पर ₹2033800 टीडीएस कटौती कर जमा करना दर्शाया गया था जबकि, चतुर्थ त्रैमास के रिटर्न अनुसार संविदाकार से कुल ₹483503 टीडीएस ही काटा जाना दर्शाया गया। विवरण निम्नवत है:

भुगतान (₹)	दिनाँक	टीडीएस की दर (%)	टीडीएस राशि (₹)	टीडीएस जमा तिथि
2007890	04.01.16	6	120473	04.01.16
1633262	04.01.16	6	97996	04.01.16
1744324	04.01.16	6	104659	04.01.16
2672910	04.01.16	6	160375	04.01.16
Total			483503	

अतः व्यौहारी द्वारा दाखिल त्रैमासिक विवरण (01/16 से 03/16) अनुसार टीडीएस ₹2033800 की कटौती की गयी थी जबकि टीडीएस जमा विवरण अनुसार ₹483503 की राशि ही कोषागार में जमा कराई गयी थी। इस प्रकार ₹1550298/- टीडीएस कम जमा किया गया था। कम जमा टीडीएस पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी अधिरोपित होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि विभाग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने उपरान्त व उचित कार्यवाही उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार ₹16.28 (₹78002 + ₹1550298) की टी.डी.सी की कम कटौती तथा ₹1.18 लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 02 : आईटीसी का अनुचित लाभ ₹ 6.46 लाख अर्थदण्ड ₹19.37 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-III के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल (हुक्का तम्बाकू को छोड़कर अनिर्मित तम्बाकू, बीड़ी और बीड़ी के उत्पाद में प्रयुक्त तम्बाकू) पर अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट विक्रय के बिन्दु (आयात या निर्माण) पर 8 प्रतिशत की दर से कर देय है। अधिनियम की धारा-58 (1)(XI) के अनुसार: यदि कोई व्योहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो बिन्दु (च) के अनुसार पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुणा धनराशि जो भी अधिक हो के अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री मुकेश एण्ड ब्रदर्स (टिन: 05005255194), कर निर्धारण वर्ष 2015-16 हेतु व्यापारी द्वारा स्वत: कर निर्धारण के अन्तर्गत प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा बीड़ी की प्रांतीय खरीद ₹ 8072205 पर 8% की दर से नियम विरुद्ध ₹ 645775 का आईटीसी लाभ लिया था।

अतः व्यौहारी द्वारा उक्त वर्ग के माल पर आईटीसी का लाभ अनुमन्य नहीं था एवं ₹645775 का आईटीसी रिवर्स योग्य था तथा इस पर नियमानुसार अर्थदण्ड ₹1937325.00 भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर व्यापारी का पक्ष जानकार व उचित कार्यवाही के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर- 01 : प्लान्ट/मशीनरी की बिक्री पर कर का अनारोपण ₹ 14.16 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि अधोलिखित व्यौहारियों द्वारा संगत वर्ष में प्लान्ट व मशीनरी का आयात किया था, परन्तु प्लान्ट व मशीनरी के क्रय को बैलेंस शीट में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः स्पष्ट है कि क्रय प्लान्ट व मशीनरी को व्यौहारियों द्वारा विक्रय किया गया जिस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाना था। विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	**व्यौहारी का नाम (सर्वश्री)**	**टिन संख्या**	**कर निर्धारण वर्ष**	**प्लान्ट/मशीनरी का मूल्य (₹)**	**कर की दर %**	**कर की राशि (₹)**
1	क्लासिक पैकेजिंग कम्पनी	05010943080	2015-16	137700	13.5	18589
2	रहमान वैल्डिंग वर्क्स	05006800986	2012-13, 2014-15, 2015-16	(356644) 159630, 132600, 64414	13.5	48147
3	टोटल पैकेजिंग सोलुशन	05013794492	2014-15	136500	13.5	18428
4	रेड रोज फ्लोकिंग, कालसी	05018385890	2016-17	6413138	14.5	929905
5	महावर उध्योग, कालसी	05017968208	2016-17	664110	14.5	96296
6	वंश इंटरप्राइजेज़, कालसी	050	2016-17	(2101287)1500420, 600867	14.5	304687
	Total					**1416052**

क्रम संख्या-1 पर अंकित व्यौहारी द्वारा क्रय किए गए प्लान्ट/मशीनरी को बैलेंस शीट में प्रदर्शित नहीं किया गया था जबकि अन्य व्यौहारियों से संबन्धित बैलेंस शीट लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। अतः उक्तानुसार प्लान्ट/मशीनरी के विक्रय पर ₹ 1416052 कर आरोपणीय था एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही भी वांछित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस जारी कर बैलेंस शीट व खरीद सूची बिलों सहित उपलब्ध करा दी जाएँगी या उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट की अनुपस्थिति में एवं बैलेंस शीट में कैपिटल एसेट को सम्मिलित न किए जाने पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 6.33 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में:
(i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)। पूर्व में 50% यदि कर ₹ 10 हजार से अधिक हो एवं 10% यदि कर ₹ 10 हजार से कम हो (26.03.2014 से)।
(ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तो देय कर ₹ 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का दायी होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यौहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

क्रम.सं.	व्यापारी का नाम/टिन सं. (सर्वश्री)	अवधि		कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड %	अर्थदण्ड (₹)
		From	To			माह	दिन			
1	क्लासिक पैकेजिंग कम्पनी (05010943080)	01/16	03/16	20.04.16	02.08.16	04		50000	20	10000
		01/16	03/16	20.04.16	16.09.16	04	26	120000	20	24000
2	सीमा ट्रेडिंग कंपनी (050167793829)	07/16	9/16	20.10.16	10.12.16	1	20	22210	20	4442
3	अम्बिका हार्डवेयर, सेलाकुई (05010513176)	01/16	03/16	20.04.16	22.06.16	1	28	70000	20	14000
		01/16	03/16	20.04.16	17.06.16	1	23	80000	20	16000
4	सर्व श्री पूनम पैकेजिंग (05014078508)	04/16	06/16	20.07.16	24.10.16	3	4	106475	20	21295
		7/16	9/16	20.10.16	18.11.16	0	28	137992	5	6898
		10/16	12/16	20.01.17	25.01.17	0	5	10465	5	523
5	सर्व श्री एम॰एस॰ इंजीनियरिंग वर्क्स,	10/16	12/16	20.01.17	29.03.17	2	9	36545	20	(7309-913)6396

	सेलकुई (05017309675)	01/17	03/17	20.04.17	17.06.17	1	27	49209	20	9841
6	सर्व श्री भारत फर्नीचर (05010372138)	10/16	12/16	20.01.17	31.01.17	0	11	29050	5	1452
7	सर्व श्री मदन इंटरप्राइजेज़ सेलकुई (05016124529)	04/17	06/17	20.07.17	20.09.17	2	0	293052	20	58610
8	सर्व श्री राधे ट्रेडर्स, विकास नगर (05014081515)	5/15		20.06.15	25.06.15	0	5	64600	5	3230
		6/15		20.07.15	24.07.15	0	4	61884	5	3094
		7/15		20.08.15	25.08.15	0	5	51309	5	2565
		8/15		20.09.15	23.09.15	0	3	171227	5	8561
		9/15		20.10.15	27.10.15	0	7	244592	5	12229
		10/15	12/15	20.01.16	17.02.16, 14.04.16	0, 2	27, 24	313719, 290602	5, 20	15685, 58120
		01/16		20.02.16	14.04.16	1	24	144776	20	28955
		02/16		20.03.16	14.04.16	0	24	8963	5	448
		03/16		20.04.16	22.04.16	0	2	59831	5	2991
9	M/S Ishwar Dass Playwood (Tin 05012471218)	7/2013	9/2013	25/10/2013	9/11/2013	0	13	171300	50%	85650
10	M/S Sara Traders (Tin No.05010731620)	7/2013	9/2013	25/10/2013	29/10/2013	0	04	61919	50%	30959
11	M/S New Rajesthan Marbles (Tin.05011933644)	4/2015	6/2015	20/7/2015	27/11/2015	4	06	70190	20%	14038
12	M/S Moga India (Tin No.05005253545)	7/2013	9/2013	25/10/2013	28/1/2014	3	02	5905	10%	590
13	New Rajastha Marbles (05011933664)	07/16	09/16	20.10.16	25.01.17	2	5	210000	20	42000
		10/16	12/17	20.01.17	25.01.17		5	340000	5	17000
		01/17	03/17	20.04.17	06.05.17		16	380000	5	19000
		01/17	03/17	20.04.17	17.02.18	10		9600	20	1920
	Globus Infocom Ltd	12/14	12/14	20.01.15	23.01.15		3	1660	5	83

14	(05007843445)	01/15	01/15	20.02.15	24.02.15		4	22073	5	1104
		02/15	02/15	20.03.15	25.03.15		5	158552	5	7928
		03/15	03/15	20.04.15	25.04.15		5	25300	5	1265
15	Gujrat Tiles & Marbles (05016109397)	04/16	04/16	20.05.16	02.06.16		12	59505	5	2975
		05/16	05/16	20.06.16	30.06.16		10	44310	5	2216
		04/16	06/16	20.07.16	22.07.16		2	43600	5	2180
		07/16	09/16	20.10.16	31.10.16		11	29418	5	1471
		10/16	10/16	20.11.16	29.11.16		9	99646	5	4982
		12/16	12/16	20.01.17	26.01.17		6	96260	5	4813
		01/17	01/17	20.02.17	26.02.17		6	51513	5	2576
		01/17	03/17	20.04.17	01.05.17		11	82705	5	4135
16	सर्वश्री फहद एंटरप्राइजेज़ 05008640009	04/13	06/13	25.07.13	13.09.13	1	19	29267	50	14633
		07/13	09/13	25.10.13	09.11.13	0	14	40918	50	20459
		07/12	09/12	25.19.12	10.11.12	0	15	19540	50	9770
		10/12	12/12	25.01.13	28.01.13	0	3	34090	50	17045
17	ए..के॰ ट्रेडर्स - 05006074553	10/13	12/13	25.01.14	01.02.14	0	6	12600	50	6300
		01/14	03/14	25.04.14	07.12.19	67	12	26180	50	13090
	कुल									**637517**

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा कराये जाने पर ₹ 637517.00 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नियमानुसार नोटिस जारी/ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर- 03 : अधिक रिफ़ंड किया जाना ₹ 4.07 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.25 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-35 की उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यौहारी को संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुसरण में संविदाकार को ऐसा भुगतान करते समय, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से ऐसी संकर्म संविदा के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय सम्पूर्ण कर या, जैसी भी दशा हो, उसके भाग की तुष्टि के लिए, उसे देय राशि के छः प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। उपधारा (5) के अनुसार ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाये, एक प्रमाणपत्र देगा। उपधारा (7) के अनुसार उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए किए गए निर्धारण में इस प्रकार की काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि समझी जाएगी।

अधिनियम की धारा-58(xii) के अनुसार कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि के जमा का मिथ्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो वह पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा।

सिविल सविदाकारों के सम्बन्ध मे देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प मे उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-7 की उप -धारा (2)मे एकमुश्त समाधान राशि प्राप्त करने के विषय मे शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है। शासनादेश संख्या: 675/2015/14(120)/XXVII(8)/06 दिनाँक 10.08.2015 द्वारा अविभाजित सिविल एवं विद्धुत संकर्म संविदाकारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी जिसके अनुसार:

सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे सविदाकारों से है जो प्रस्तर -क मे उल्लिखित कार्य को करते है अथवा प्रस्तर-क मे उल्लाखित कार्य के लिय हुई संविदा के अधीन प्रस्तर -क के कार्य के साथ -साथ प्रस्तर -ख,ग और घ मे उल्लाखित कार्य या समस्त कार्य करते हैं:

(क) सिविल कार्य जैसे की भवन पुल सड़क बाढ़ों शेड्स डाइवर्जनों का निर्माण मरम्मत के कार्य ।
(ख) स्ट्रेक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुये यदि वह संविदा स्थलपर बनाकर उपयोग (क) मे प्रयोग की जाये ।
(ग) टाइले स्लेब पत्थर तथा शिट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्थ (क) मे प्रयोग की जाये
(घ) उपरोक्त (क) मे अंकित सविदा कार्यो की विधुटिकरण था प्लांबरिंग से संबन्धित सभी कार्य ।

समाधान राशि का आंकलन अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओ के सम्बन्ध मे संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की कुल धनराशि मे से संविदी द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि पर की जायेगी जिसका उल्लेख संविदा मे हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। सविदाओ मे मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमे संविदाकार को प्राप्त होने वाली धनराशि मे से अर्थवर्क के सम्बन्ध मे संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली धनराशि घटा दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि पर समाधान धनराशि की गणना की जायेगी।

सिविल सविदाकारों के सम्बन्ध मे देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प मे उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 7 की उप -धारा (2)मे एकमुश्त समाधान योजना के बिन्दु 4(ख) के अनुसार संविदाकार के द्वारा वित्तीय वर्ष मे निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया है तो समाधान 6 प्रतिशत से किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की कर निर्धारण पत्रावलियों की नमूना जाँच मे पाया गया कि निम्न संविदाकारों द्वारा समाधान योजना के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया था जिनका विवरण निम्नवत है:

क्र. स.	**संविदाकार का नाम/टिन संख्या**	**कर निर्धारण वर्ष**	**प्राप्त भुगतान की धनराशि (₹)**	**टीडीएस की राशि (₹)**	**अर्थ वर्क पर लिया गया लाभ (₹)**	**देय कर की राशि (₹)**
1	श्री धीरेन्द्र सिंह तड़ियाल 05005147524	2017-18	6841728	410519	2312714	46254
2	पंकज कुमार जैन 05005271587	2017-18	31539849	593017	1288074	25761
कुल						**72015**

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि क्रम संख्या-1 पर अंकित संविदाकार द्वारा क्लीनिंग व ग्रेडिंग के रूप में प्राप्त राशि ₹2312714/- के कार्य को अर्थ वर्क मे एवं क्रम संख्या-2 पर अंकित संविदाकार द्वारा जाब वर्क के रूप में प्राप्त राशि ₹1951628/- के कार्य को अर्थ वर्क मे दर्शाया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त प्राप्त भुगतान के 33 प्रतिशत पर कर की देयता निर्धारित की गयी थी। इस प्रकार अवशेष ₹1288074 पर कर निर्धारण नहीं किया गया था। चूंकि उपरोक्त कार्य अर्थवर्क मे नहीं आते हैं एवं संविदाकार समाधान योजना के अन्तर्गत

02 प्रतिशत की दर से कर जमा कर रहे थे, अतः ₹ 2312714 पर 2% की दर से ₹ 46254/- एवं 1288074 पर 2% की दर से ₹ 25761 की राशि रिफ़ंड योग्य नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(B) संविदाकार सर्व श्री आहूजा बिल्डर्स, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया कि संविदाकार को संगत वर्ष में धनराशि ₹ 15000000 के सापेक्ष सकल भुगतान की राशि ₹ 14677250/- प्राप्त हुई थी जिस पर संविदी विभाग द्वारा ₹ 880635/- की कटौती की गई थी एवं कर निर्धारण आदेश मे शुद्ध भुगतान ₹ 14677250 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 587090/- समाधान राशि निर्धारित करते हुए अधिक जमा धनराशि ₹ 293545/- रिफ़ंड कर दी गई थी ।

आगे अवलोकन मे यह पाया गया कि संविदाकार द्वारा संगत वर्ष में 25 फार्म- 16 का प्रयोग करते हुए प्रांत के बाहर से ₹ 4715897/- का माल आयात किया गया था जो शुद्ध भुगतान का 05 प्रतिशत से अधिक था। व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैलेंस शीट के अवलोकन में पाया गया कि उक्त आयातित माल में से व्यौहारी द्वारा बैलेंस शीट फिक्स असेट में ₹ 2666931 का माल दर्शाया गया था। अतः नियमानुसार संविदा राशि के मूल्य के 5% से अधिक माल के आयात के परिणामस्वरूप प्राप्त भुगतान पर अंतरीय दर 2% की दर से 293545/- की राशि रिफ़ंड योग्य नहीं थी।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी

(C) सिविल संविदाकार श्री मदन सिंह नेगी (टिन: 05005232496) का वर्ष 2014-15 हेतु कर निर्धारण अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत किया गया था। व्यौहारी द्वारा समाधान हेतु विकल्प प्रार्थना पत्र (प्रारूप 723) कार्यालय में दिनाँक 18.02.15 को प्रस्तुत किया गया था जिसका उल्लेख कर निर्धारण आदेश में भी किया गया था।

पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार को संगत वर्ष में ₹ 6,96,246 का भुगतान संविदी विभाग से प्राप्त हुआ था। संविदाकार द्वारा उक्त प्राप्त भुगतान के सापेक्ष टीडीएस कटौती प्रमाण पत्र राशि ₹ 41775 हेतु प्रस्तुत किया जिसको मान्य करते हुये एवं संविदाकार को प्राप्त कुल भुगतान एवं समाधान शुद्ध धनराशि ₹ 6,96,246 पर 2% की दर से ₹ 13,925 कर निर्धारण किया गया एवं ₹ 27850 धनराशि की वापसी की

गयी थी। परन्तु, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि टीडीएस कटौती का उक्त प्रमाण-पत्र वर्ष 2013-14 के अनुबन्ध संख्या 128/AE-V/13-14 दिनाँक 13.01.14 एवं अनुबन्ध संख्या 07/EE/13-14 दिनाँक 05.10.13 से संबन्धित था। अतः कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में प्राप्त भुगतान पर वर्ष 2013-14 की टीडीएस कटौती ₹ 41775 का लाभ अनुमन्य नहीं था एवं राशि रिफ़ंड योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार मिथ्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कर की राशि ₹ 41775 का 03 गुणा ₹ 125325 अर्थदण्ड भी आरोपित किया जायेगा।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस जारी कर संविदाकार का पक्ष जानकर उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा संविदाकार के वर्ष 2014-15 से संबन्धित अनुबन्ध/कार्यों का विवरण/अभिलेख भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।

अतः अधिक रिफ़ंड की राशि ₹407335/- (₹46254 + ₹25761 + ₹293545 + ₹41775) एवं अर्थदण्ड ₹125325 का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 04 : धनराशि ₹ 1.50 लाख का डिमाण्ड आदेश संशोधित न किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-30 (1) के अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी बात को स्वप्रस्ताव से या व्यौहारी के प्रार्थना पत्र पर, उस आदेश के दिनाँक जिसमें सुधार किया जाना हो, के तीन वर्ष के भीतर सुधार कर सकता है। उपधारा-2 के अनुसार उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाये हुये कर के बढ़ने का होगा, संबन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी विहित रूप से माँग की फिर से सूचना व्यौहारी को देगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री अम्बिका हार्डवेयर (टिन: 05010513176) के वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण आदेश एवं संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी का अनन्तिम कर निर्धारण धारा-25(7) एवं धारा-9(2) के अन्तर्गत दिनाँक 04.06.2019 को किया गया था। आदेश के अनुसार व्यौहारी पर ₹150258 की माँग सृजित की गयी थी। आगे, पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि दिनाँक 04.06.2019 को ही धारा-9(2) के अन्तर्गत जारी एक अन्य आदेश में व्यौहारी को ₹77131/- अधिक जमा का लाभ दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी पर ₹ 150258/- की डिमाण्ड का आदेश ही वर्तमान तक प्रभावी है परन्तु, वह धारा-30 के अन्तर्गत संशोधित किया जाना है। कार्यवाही के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः धनराशि ₹ 150258 का संशोधित डिमाण्ड आदेश जारी न किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर- 05 : कर का न्यूनारोपण ₹1.48 लाख।

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या: 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनाँक 31.03.2015 द्वारा अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (5) तथा उपधारा (7) का संशोधन करते हुये विद्द्यमान उपधारा-5 के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "4 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "5 प्रतिशत की दर से" एवं विद्द्यमान उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परंतुक में प्रयुक्त शब्द "2 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "3 प्रतिशत की दर से" कर की दर में संशोधन किया गया था।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि

(A) व्यौहारी सर्वश्री क्लासिक पैकेजिंग कम्पनी, सेलाकुई (टिन: 05010943080) का वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 681889 की बिक्री 2% की दर से एवं ₹ 6006608 की बिक्री 3% की दर से फॉर्म-11 के विरुद्ध की थी।

चूँकि वर्ष 2015-16 में फॉर्म-11 के विरुद्ध बिक्री पर नियमानुसार 3% की दर से कर आरोपणीय था, अतः ₹ 681889 की बिक्री पर अंतरीय दर 1% की दर से ₹ 6819 कर आरोपणीय था जिस पर जमा कराये जाने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा पाने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी को नोटिस देकर व पक्ष जानकर प्राप्त तथ्यों से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

(B) व्यौहारी सर्वश्री मदन इंटरप्राइजेज़, सेलाकुई (टिन: 05016124529) का वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 1223940 की फॉर्म-11 के विरुद्ध की थी एवं बिक्री पर 3% की दर से कर निर्धारित किया गया था। परन्तु, पत्रावली में उक्त फॉर्म-11 की प्रति नहीं पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा फॉर्म-11 की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे रियायती दर से विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं हो सका। अतः फॉर्म-11 के अभाव में व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री ₹ 1223940 पर अंतरीय कर की दर 11.5% की दर से ₹ 140753 कर आरोपणीय होगा।

अतः ₹ 147572 कर के न्यूनारोपण के प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 06 : सुख-साधन कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.34 लाख।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 के अनुसार अधिनियम की धारा-5 में यह प्रावधानित है कि यदि कोई स्वामी विहित अवधि में कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह असदत्त रही धनराशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का भागी होगा और ऐसा ब्याज कर की धनराशि में जोड़ दिया जाएगा तथा सभी प्रायोजनों के लिए कर का भाग समझा जाएगा। धारा-10 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विहित कालावधि के भीतर धारा-5 अथवा धारा-2 के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहेगा तो, धारा-5 की उपधारा-2 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह दोष सिद्ध होने पर पाँच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा और जब अपराध चालू रहने वाला हो तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, प्रतिदिन एक सौ रुपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माने से दंडनीय होगा।

उत्तराखण्ड होटलों में सुख-साधन कर नियमावली, 2009 के नियम-3(B) के अनुसार: the amount of tax payable by a hotel owner under sub-section (1) of section 5 of the Act shall be paid into a Govt. Treasury or SBI by a challan in LT form-1 within 05 days after the end of the month to which the tax collected by the hotel owner relates.

सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निम्न होटल स्वामियों द्वारा देय कर विलम्ब से जमा कराया गया था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	माह	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	दिन	कर की राशि (₹)	कर विलम्ब हेतु अर्थदण्ड (₹)	विलम्ब से जमा दिनों हेतु अर्थदण्ड @ 100/दिन (₹)
Valley Hotel Resort, Selaqui (05007224876)	06/15	05.07.15	07.07.15	2	46409	5000	200
	08/15	05.09.15	07.09.15	2	47981	5000	200
	09/15	05.10.15	06.10.15	1	44242	5000	100
	11/15	05.12.15	07.12.15	2	48358	5000	200
Virat Khai Campus, Jaunsar Babar, Kalsi	04/14	05.05.14	31.10.14	175	25040	5000	17500
	05/14	05.06.14	31.10.14	145	24410	5000	14500
	06/14	05.07.14	31.10.14	115	17869	5000	11500
	08/14	05.09.14	31.10.14	85	520	5000	8500
	10/14	05.11.14	11.11.14	6	15966	5000	600
	11/14	05.12.14	13.12.14	8	8461	5000	800
	04/15	05.05.15	09.05.15	4	6442	5000	400
	05/15	05.06.15	27.06.15	22	10169	5000	2200
	06/15	05.07.15	23.07.15	18	14877	5000	1800
	03/16	05.04.16	07.04.16	2	7050	5000	200
	03/17	05.04.17	10.04.17	5	16878	5000	500
Total						**75000**	**59200**

अतः कर विलम्ब से जमा कराये जाने पर उपरोक्तानुसार ₹ 134200/- अर्थदण्ड आरोपणीय था एवं नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारियों को नोटिस जारी कर उचित कार्यवाही उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर- 07 : कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.00 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि अधोलिखित व्यौहारियों द्वारा संगत वर्ष में आयात घोषणा पत्रों आदि से आयात किए गए अथव क्रय किए माल की खरीद प्रदर्शित नहीं की थी अथवा कम प्रदर्शित की थी जिसके विक्रय पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाना था। विवरण निम्नवत है:

(A)

क्रम सं॰	व्यौहारी का नाम (सर्वश्री)	टिन संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश/अभिलेखों अनुसार क्रय (₹)	वास्तविक क्रय (₹)	बिक्री (₹)	अन्तर (₹)	कर की दर %	कर की राशि (₹)
1	विजय सिंह राणा	05011103518	2014-15	450270	486810	609428	36540	13.5	2465

(B) व्यौहारी सर्वश्री टोटल पैकेजिंग सोल्युशन, सहसपुर (टिन न॰:05013794492) के कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबन्धित पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि व्यौहारी का व्यापार एल्युमिनियम फोइल्स की खरीद बिक्री का है। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹ 215047/- की प्लास्टिक/पीवीसी स्क्रैप की खरीद की गयी थी। आगे जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा स्क्रैप की बिक्री किए जाने का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध था परन्तु प्लास्टिक स्क्रैप ₹ 215047/- की बिक्री घोषित नहीं की गयी थी एवं न ही अंतिम रहतिया में दिखाया गया है। अतः प्लास्टिक स्क्रैप की बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 29031/- का कर आरोपणीय था।

(C) व्यौहारी सर्वश्री राजश्री इंटरप्राइजेज़, सेलाकुई (टिन न॰: 05013866272) के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबन्धित पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 1838779 की खरीद प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से की गयी थी। व्यौहारी द्वारा अपने 13.5% एवं 14.5% दर वाले माल का विवरण निम्नवत दर्शाया गया था:

आरंभिक रहतिया (₹)	खरीद (₹)	बिक्री (₹)	अन्तिम रहतिया (₹)	अंतरीय बिक्री (₹)
158795	308695	329670 6051(Cen.)		
	582447	257322 4514 (Cen.)	138970	313410

अतः अंतरीय बिक्री पर 14.5% की दर से ₹ 45444/- कर आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त कर की राशि का नियमानुसार 50% अर्थदण्ड ₹ 22722/- आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस जारी करने के उपरान्त व्यापारी का पक्ष जानकर उचित कार्यवाही करके लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार ₹99662/- (₹2465 + ₹29031 + ₹45444 + ₹22722) के कर एवं अर्थदण्ड का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर- 08 : आई.टी.सी रिवर्स न किया जाना ₹0.08 लाख एवं अर्थदण्ड ₹0.24 लाख।

अधिनियम की धारा-6(8)(झ) के अनुसार: माल जो चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। धारा-58 (1)(XI) के अनुसार: यदि कोई व्योहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो बिन्दु (च) के अनुसार पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुणा धनराशि जो भी अधिक हो के अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहा॰ आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-2, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में गलत धनराशि का दावा किया था:

(A) फर्म का नाम: सर्वश्री टोटल पैकेजिंग सोल्युशन, सहसपुर
कर-निर्धारण वर्ष: 2014-15
टिन न॰ : 05013794492

व्यौहारी का व्यापार एल्युमिनियम फोइल्स की खरीद बिक्री का है। उपरोक्त पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी को एल्युमिनियम फोइल्स की खरीद ₹ 33300/- पर 13.5% की दर से आई.टी.सी अनुमन्य किया गया था जबकि उक्त वस्तु पर कर की दर 5% है। अतः ₹ 33300/- पर अंतरीय कर की दर 8.5% की दर से ₹ 2831/- आईटीसी रिवर्स योग्य था। इसके अतिरिक्त दावाकृत राशि का तीन गुणा ₹ 8493/- अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस जारी करने के उपरान्त व्यापारी का पक्ष जानकार आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

(B) फर्म का नाम: सर्वश्री वंश इंटरप्राइजेज़, कालसी
कर-निर्धारण वर्ष: 2016-17
टिन न॰ :

व्यौहारी का व्यापार पैकिंग मेटीरियल का निर्माण कर बिक्री का है। उपरोक्त पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी को संगत वर्ष में प्रांतीय खरीद ₹ 1448500 पर आईटीसी ₹72424 का लाभ अनुमन्य किया गया था परन्तु, प्रांतीय खरीद से संबन्धित ₹1342250 की क्रय सूची ही पत्रावली पर पायी गयी।

इस प्रकार ₹106250 की प्रांतीय खरीद की सूची उपलब्ध न कराये जाने के परिणामस्वरूप उक्त खरीद पर 5% की दर से ₹5312 आईटीसी रिवर्स योग्य था जो कि रिवर्स नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दावाकृत राशि का तीन गुणा ₹15938/- अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस जारी करने के उपरान्त खरीद सूची बिलों सहित उपलब्ध करा दी जायेगी या उचित कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार कुल ₹8143/- (₹2831 + ₹5312) के आई.टी.सी रिवर्स तथा ₹24431/- (₹8493 + ₹15938) के अर्थदण्ड का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-49/2017-18	-	01	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-2, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
3. टिप्पणी- शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री योगेश रावत,	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री सौरभ तिवारी,	सहायक आयुक्त
(iii)	श्रीमती मीनाक्षी त्यागी,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV